



2026: AHC: 51506

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6993 वर्ष 2026

कुलदीप कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : हुकुम सिंह, पुनीत भदौरिया

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी., कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के तहत कार्यवाही में अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), एटा/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 वर्तमान रिट याचिका में विचाराधीन है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री के. के. सिंह द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याची के पास संहिता, 2006 की धारा 128 की उप-धारा (4) के प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
3. रिट याचिका याची को उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।